



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.
62/2016

1. श्री गंगादत्त उपाध्याय पुत्र श्री गौरीदत्त उपाध्याय
2. ब्रिगेडियर भूपेन्द्र दत्त उपाध्याय पुत्र ले. कर्नल श्री गंगादत्त उपाध्याय
3. श्रीमती मालती पुत्री ले. कर्नल श्री गंगादत्त उपाध्याय
4. सुश्री शीला पुत्री ले. कर्नल श्री गंगादत्त उपाध्याय
5. सुश्री आशा पुत्री ले. कर्नल श्री गंगादत्त उपाध्याय

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी मकरेडा तहसील पीसांगन हाल निवास 503/1, रेम्बल रोड अजमेर तहसील व जिला अजमेर

...वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर
2. अजमेर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव अजमेर

..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, एंव 92(ए)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री अजीतसिंह राठौड - वादीगण
श्री किशनाराम चौधरी - राजकीय परोकार
-: निर्णय :- दिनांक 27.02.2020

संक्षिप्त में वाद में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अभिभाषक के यह वादपत्र दिनांक 21.09.2016 को अन्तर्गत धारा 88,188 एंव 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम मकरेडा तहसील पीसांगन में साबिक खसरा संख्या 19 रकबा 70-15-00 बीघा में से 15-00-00 बीघा भूमि दिनांक 01.07.1964 को आवटन की जाकर कब्जा व दखल प्रदान किया गया तब से श्रीमती सत्यवती काबिज चली आ रही थी जिनका दिनांक 19.01.2007 को स्वर्गवास होने के पश्चात वादीगण लगातार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । साबिक खसरा संख्या 19 के वर्किंग खसरा संख्या 46, 47, 44 मिन बने जिनके आधार भूत खसरा संख्या 87 रकबा 0.24 है. , 88 रकबा 0.25 है. , 105 रकबा 0.20 है. , 107 रकबा 0.20 है. , 87 रकबा 3.02 है. , 88 रकबा 2.00 है. , 105 रकबा 0.25 है. , 107 रकबा 3.00 है., 105 रकबा 3.00 है. बने। खसरा गिरदावरी सवंत 2021 से 2024 , 2025 लगायत 2028, खसरा परिवर्तनशील सवंत 2026, खसरा गिरदावरी सवंत 2034 लगायत 2037 ,2038 लगायत 2041 एंव खसरा परिवर्तनशील सवंत 2049 एंव सलंगन लगान एवं जुर्माना रसीदात सन् 1976 लगायत 1991 से सिद्ध है। आवटन आदेश दिनांक 01.07.1964 की पालना में श्रीमती सत्यवती एवं वादीगण के नाम



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन





अधिकार अगिलेख में निम्नानुसार राजस्व एजेन्सी द्वारा प्रविष्टियां दर्ज नहीं की गयीं ।
अतः वादपत्र स्वीकार फरमाकर विवादित आराजीयात आधार खसरा संख्या 87, 88, 105
एवं 107 पर बनाये गये हैं में से 15-00-00 बीघा पर वादीगण को खातेदार काश्तकार
दर्ज किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत
करने हेतु सम्मन जारी किये गये। कालान्तर में अजमेर विकास प्राधिकरण को आवश्यक
पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया । सरकार पेशकार द्वारा जवाब सरकार दिनांक 04.
07.17 को पेश किया गया । दिनांक 09.07.2019 को ए.डी.ए. का जवाब एडवोकेट श्री
रामकिशोर खदाव ने पेश किया । वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब के
आधार पर दिनांक 12.07.19 को तनकी कायम की गयी जो निम्नानुसार है।
तनकी संख्या 1 -- आया कि वादीगण के पूर्वज के हक में निष्पादित आवंटन दिनांक 1.
7.1964 माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.6.1967 के अनुसार आज
दिनांक तक बहाल है।

..... जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 2 -- आया कि वादीगण के पूर्वज को हुए आवंटन आदेश की पालना में
राजस्व एजेन्सी द्वारा इन्द्राज दर्ज नहीं करने के कारण वादीगण उद्घोषणा खातेदारी
प्राप्त करने के अधिकारी है।

..... जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 3 -- आया कि वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने
के अधिकारी हैं।

..... जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 4 -- आया कि आवंटन आदेश की पालना में वादीगण के नाम खातेदारी
हक से इन्द्राज दर्ज नहीं करने के कारण भूमि सिवायचक दर्ज रही जिससे वाद पत्र
काबिल निरस्त योग्य है।

..... जिम्मे प्रतिवादी

वादी ने अपने वाद के समर्थन में दिनांक 31.07.2019 को वादी साक्ष्य एवं
शपथ पत्र प्रदर्श लगाये । पी.डब्ल्यू-1 महेन्द्र सिंह पुत्र प्रयागसिंह के बयान कलमबद्ध
करये एवं शपथपत्र पेश किया साथ ही प्रदर्श ई.एक्स.पी.-1 जमाबर्दी संवत 2017 से
2019 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.-2 जमाबर्दी संवत 2020 से 2023 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.-3 व 4
खसरा मिलान क्षेत्रफल चौसाला, प्रदर्श ई.एक्स.पी.- 5 व 6 खसरा मिलान संवत 2061
से 2080 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.- 7 नक्शा सन् 1982 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.- 8 एवं 9
जमाबर्दी संवत 2072 से 2075 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.-10 राजस्व मंडल निर्णय 02.06.1967
अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.-11
आवंटन आदेश पत्र , प्रदर्श ई.एक्स.पी.-12 मृत्यु प्रमाण पत्र , प्रदर्श ई.एक्स.पी.-13
नगर निगम अजमेर द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र , प्रदर्श ई.एक्स.पी.-14 खसरा
गिरदावरी 2020-24 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.-15 खसरा गिरदावरी 2025 से 28, प्रदर्श ई.



[Handwritten Signature]
अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जयपुर




एक्स.पी.-16 खसरा परिवर्तनशील सवंत 2026 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.-17 खसरा गिरदावरी सवंत 2034 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.-18 खसरा गिरदावरी सवंत 2038 , प्रदर्श ई.एक्स.पी.-19 मुख्तारनामा आग , प्रदर्श ई.एक्स.पी.-20 खसरा गिरदावरी सवंत 2048, प्रदर्श ई.एक्स.पी.-21(1) खसरा मिलान , प्रदर्श ई.एक्स.पी.-21(11) खसरा मिलान , प्रदर्श ई.एक्स.पी.-22 जमाबंदी सवंत 2064, प्रदर्श ई.एक्स.पी.-23 से 28 रसीद तक दस्तावेज पेश किये । दिनांक 19.08.2019 को ए.डी.ए ने जिरह की । ए.डी.ए. ने साक्ष्य पेश नहीं की उनकी साक्ष्य बंद की। दिनांक 25.09.2019 को वादी साक्ष्य पर सरकार पेरोकार ने जिरह की। दिनांक 18.11.2019 को प्रतिवादी साक्ष्य ने शपथ पत्र पेश किये। दिनांक 22.01.2020 को प्रतिवादी साक्ष्य पर जिरह की। दिनांक 05.02.2020 को सरकार पेरोकार ने लिखित बहस पेश की। साथ ही वादीगण अधिवक्ता ने आर. आर. डी. 2011 पेज नम्बर 427 न्यायिक दृष्टांत पेश किया । प्रतिवादी संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किये प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार की तरफ से तहसीलदार पीसांगन ने लिखित बहस पेश की साथ ही डी. डब्ल्यू. 1 आफिस कानूनगो श्री मूलसिंह चारण एवं डी. डब्ल्यू. 2 हल्का पटवारी मकरेडा के बयान दर्ज कराये। मैंने उभयपक्षों की बहस सूनी उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जो तनकीवार निम्न है :-

1. तनकी संख्या 1 - आया कि वादीगण के पूर्वज के हक में निष्पादित आवंटन दिनांक 1.7.1964 माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.6.1967 के अनुसार आज दिनांक तक बहाल है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने पूर्वज के हक में निष्पादित आवंटन आदेश दिनांक 01.07.1964 जो ई.एक्स.पी.-11 है जो माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.1967 प्रदर्श ई.एक्स.पी.-10 बहाल रहने के संबंध में कथन किया है लेकिन जो आवंटन 01.07.1964 को वादी के पूर्वजों का होना बताया है वो ही प्रचलित नियमों के अनुरूप नहीं होने के कारण तथा प्रार्थी के पूर्वज भूमिहीन श्रमिक नहीं होने के कारण उनको एक नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देने के पश्चात तत्कालीन उपखंड अधिकारी ने आवंटन निरस्त करने की अनुशंसा की जो राजस्व मंडल के निर्णय प्रदर्श ई.एक्स.पी.-10 के पेज संख्या 02 की द्वितीय पंक्ति से स्पष्ट है :-

though the applicants were not covered within the definition of landless labourers. A notice was issued to show cause why the land allotted may not be resumed (as the allotment in that case has not been/according to the rules) by the




उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

sub divisional officer, who after hearing the parties reported the collector that the land should be resumed.

जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी की अनुशंषा पर आवंटन नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करने की अनुशंषा राज्य सरकार को कर दी साथ ही उपखण्ड अधिकारी अजमेर को निर्देशित किया कि बरसात का मौसम नजदीक आ रहा है अतः राज्य सरकार की पूर्वानुमति मानते हुए आवंटनी से भूमि वापिस ले ली जाये । जो पेज संख्या 02 ई.एक्स.पी.- 10 से स्पष्ट है:-

the sub divisional officer may be directed to resume the land in anticipation of sanction of the state government .

जिला कलक्टर के निर्णय को माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर ई.एक्स.पी.- 9 द्वारा आशिक रूप से quashed किया जो अंतिम पैरा से स्पष्ट है ।

the order of the collector, therefore , relating to resumption in anticipation of government sanction being without jurisdiction is quashed.

इस प्रकार माननीय न्यायालय राजस्व मंडल के निर्णय प्रदर्श ई.एक्स.पी.- 10 से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय ने जिला कलक्टर के खातेदारी निरस्ती की अनुशंषा को quashed नहीं करके उपखण्ड अधिकारी को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति (anticipation) मानते हुए भूमि का कब्जा वापिस लेने के उपखण्ड अधिकारी को दिये गये निर्देशों तक निर्णय को quashed किया है साथ ही अपीलान्ट को किसी प्रकार का आवंटन बहाल करने संबंधी कोई निर्णय नहीं दिया है । अर्थात् माननीय न्यायालय राजस्व मंडल के निर्णय से स्पष्ट है कि न्यायालय ने आवंटनी के आवंटन के संबंध में जिला कलक्टर का निर्णय खारिज नहीं करके केवल राज्य सरकार की पूर्वानुमति (anticipation) मानते हुए उपखण्ड अधिकारी अजमेर को दिये निर्देश ही खारिज किये हैं ।


इस प्रकार तनकी संख्या 1 विरुद्ध वादीगण तय की जाती है ।

2. तनकी संख्या - 2 आया कि वादीगण के पूर्वज को हुए आवंटन आदेश की पालना में राजस्व एजेन्सी द्वारा इन्द्राज दर्ज नहीं करने के कारण वादीगण उद्घोषणा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ।

तनकी संख्या 2 साबित करने का भार वादी पर था । जब तनकी संख्या 1 की विवेचना में ही स्पष्ट हो चुका है कि वादी का आवंटन प्रचलित नियमों में नहीं होने के कारण जिला कलक्टर ने राज्य सरकार को आवंटन निरस्त की अनुशंषा करी थी जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ने ई.एक्स.पी.- 10 के अनुसार



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागन




खारिज नहीं किया था इस कारण वादी किसी प्रकार की उद्घोषणा खातेदारी का अधिकारी नहीं है अतः तनकी संख्या 2 भी विरुद्ध वादी तय की जाती है।
3. तनकी संख्या 3 – आया कि वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

इसको सिद्ध करने का भार वादी पर था। तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरुद्ध तय होने के कारण तनकी संख्या 3 भी वादी के विरुद्ध तय की जाती है।
4. तनकी संख्या 4 – आया कि आवटन आदेश की पालना में वादीगण के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज दर्ज नहीं करने के कारण भूमि सिवायचक दर्ज रही जिससे वाद पत्र काबिल निरस्त योग्य है।

यह तनकी प्रतिवादी के जिम्मे था। प्रतिवादी ने अपने लिखित बहस एवं दस्तावेजों से यह साबित किया है कि भूमि शुरू से ही सिवायचक रही है वादी का कभी नामान्तकरण नहीं खुला तथा वादी केवल अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। अतः तनकी संख्या 4 हक प्रतिवादी एवं विरुद्ध वादी तय की जाती है। इस प्रकार वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। दोनों पक्षकार अपना अपना खर्चा वहन करें। इसी आशय की डिक्री पारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक जज
पदेन सहायक जज
पीसागंन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीटासीन अधिकारी
वाद संख्या

श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.
62/2016

1. ले. कर्नल श्री गंगादत्त उपाध्याय पुत्र श्री गौरीदत्त उपाध्याय
2. ब्रिगेडियर भूपेन्द्र दत्त उपाध्याय पुत्र ले. कर्नल श्री गंगादत्त उपाध्याय
3. श्रीमती मालती पुत्री ले. कर्नल श्री गंगादत्त उपाध्याय
4. सुश्री शीला पुत्री ले. कर्नल श्री गंगादत्त उपाध्याय.
5. सुश्री आशा पुत्री ले. कर्नल श्री गंगादत्त उपाध्याय

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी मकरेडा तहसील पीसागंन हाल निवास 503/1, रेम्बल रोड अजमेर तहसील व जिला अजमेर